

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 404]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020 — भाद्रपद 12, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/11/13.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/11/12 दिनांक 30.07.2019 जारी की गई थी।

(2) उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विभिन्न याचिकायें प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा, विभाग की उक्त अधिसूचना की कंडिका 08 को अपास्त किया गया, किन्तु सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई।

(3) तदपश्चात् छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16—ग की उप—धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये, आगामी कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु “प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” की कंडिका 08—प्रबंध को छोड़कर, कंडिका—5 पुनर्गठन की प्रक्रिया को उपांतरित करने अधिसूचना क्र./एफ 15—35/15—02/2019/1 दिनांक 07.03.2020 जारी की गई।

(4) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की उपांतरित कंडिका 05—(च) के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत “प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची—एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(5) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की कंडिका 05—(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची — एक, दो एवं तीन को जारी करता है। हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति विभाग के ई—मेल आई.डी. osd.coop-cg@nic.in में या पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में दिनांक 10.09.2020 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(6) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 की अनुसूची—एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :- अनुसूची — एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप—सचिव.

अनुसूची – एक			
जिला मुंगेली , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन योजना, 2019			
कं.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा हैं (परिणामी सोसायटी)
1	निरंक	निरंक	निरंक

अनुसूची – दो			
जिला मुंगेली , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन योजना, 2019			
क्रं.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित सोसायटी)		नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	कोदवा	गीधा	चमारी, भर्माकुडा, करही, लिम्हा, गीधा, रोहराखुर्द, जोगीपुर, धरमपुरा, कुवागांव, सोढार, पीथमपुर
2	भठलीकला	धनगांव	धनगांव, खुर्सी, मुढिया, खैरवार
3	जरहागांव	दशरंगपुर	दशरंगपुर, किशनपुर, डोमनपुर, बरदुली, रामपुर, लोहडिया
4	तेलियापुरान	मसनी	मसनी, मसना, ठरकपुर, रबेली, नवरंगपुर, खेकतरा, कौहाबांधा, दादनकापा
5	छटन	सेमरकोना	सिपाही, बोदा, गाडाघाट, भुरका, सेमरकोना
6	सिंघनपुरी	भालूखोंदरा	अमलडीही, सोनपुरी, फुलवारी कला, भालूखोंदरा, गुहिराकापा, गातापार, इलचपुर, बंशापुर, गोरखपुर
7	कंतेली	नवागांव घुटेरा	नवागांव, बैहागांव, ढबहा, रीवाघाट, कोलिहा, घुटेरा, देवरी, प्रतापपुर, हेडसपुर, दामापुर, जैतपुरी, जमकोर
8	खपरीकला	लगरा	बघमार, लगरा, कुकुरहट्टा,
		रैतराकला	रैतराकला, साल्हेघोरी, भाठा, कोसमतरा
9	अखरार	डिण्डौरी	डिण्डौरी, फौजदारकापा, डोंगरीगढ़, नवागांव दयाली, मलकछरी, कठौतिया, भूतकछार, नवरंगपुर, राम्हेपुर
10	वेंकटनवागांव	बिचारपुर	बिचारपुर, चन्दपुर, डिण्डोल, धोबघट्टी, नवागांव जैत, पीथमपुर, लालपुर कला, सुकली,
11	डोंगरिया	खुड़िया	खुड़िया, सरगढी, झिरिया, माहामाया, बिजराकछार, चकदा, मजुरहा, सलगी, औरापानी, बोईरहा, पटपरहा, राजक, निवासखार, कटामी, बिदावल, बम्हनी, अतरीहा, सुरही, जाकड़बांधा, मुनाही दन, महामाई, बहाउड़, डगनीया, सरसोड़ा, बिसौनी, बाबूटोला, घमेरी, परसहा
12	धरदेई	पडियाईन	पडियाईन, पेण्डी, झूलनाकला, सेंन्दरी , रोहराकला, पोडी, मुण्डादेवरी
13	चन्द्रखुरी	किरना	किरना, मदवानी , देवाकर, लमती, पेण्डी,
14	पथरिया	सिलतरा	चदरगढी, कपुवा, जोता, सिलतरा, भूलनकापा, पीड़ा, पुटपुरा, बेढाकापा
15	पीपरलोड	खुटेरा	बेलखुरी, कलारजेवरा, खुटेरा
		हिंछापुर	मवहा, लमती, त्रिभुवन, खैरा, हिंछापुर
16	बदरा	रामबोड	अण्डा, दौना, खम्हारडीह, रामबोड, पेण्डी(स), मोहदी, ककेडी, उमरिया, धमनी, पकरिया
		सकेत	तुमाढेटा, परसिया, बिरकोनी, कान्हारकापा, सकेत, लुकउकापा
17	भटगांव	हथनीकला	हथनीकला, ढोटमा, डाडगांव
18	सरगांव	धूमा	बारगांव, धूमा, खजरी, चुनचुनिया, मोतिमपुर, नगपुरा, सावंतपुर
		सांवा	बिदबिदा, सोरला, सावा, लरकवाडीह, लोहदा
19	सिलदहा	पत्थरगढी	कान्हरपुर, सकरी, इसराकापा, भठली, हरदी, छिन्दभोग, पत्थरगढी, खपरी, ढोढापुर, परसदा, पौसरी, गंगद्वारी, मोहभटठा, सोडी (म)

अनुसूची – तीन

जिला मुंगेली , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन योजना, 2019

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक